समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

संयुक्त आदेश

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के अंतर्गत संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राज्य निःशक्तता पेंशन योजना एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सामान्य एवं विशेष घटक के तहत् पेंशनधारियों को शिविर के माध्यम से पंचायत/वार्ड स्तर पर पेंशन वितरण का प्रावधान हैं।

मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक – 464, दिनांक 16.03.16 के आलोक मे माह अगस्त–2015 से फरवरी–2016 तक की पेंशन राशि का नगद वितरण सभी प्रखंडो के सभी पंचायतो/वार्डो में दिनांक 20 मार्च से 30 मार्च 2016 तक किया जाना हैं।

इसके लिए निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें की पंचायतों में शिविर का आयोजन यथासंभव सार्वजनिक स्थलों (स्कूल आदि) पर करेंगें। विशेष परिस्थिति में ही अधोहस्ताक्षरी को वस्तुस्थिति से अवगत कराकर, शिविर का आयोजन अन्यत्र करेंगें। साथ ही शिविर स्थल पर मूलभुत आवश्यक सुविधा भी मुहैया करायेंगे। पेंशन वितरण सम्पूर्ण जानकारी और कार्यक्रम सभी जनप्रतिनिधियों (मुखिया, वार्ड के प्रतिनिधि, पंचायत समिति, जिला पार्षद, विधायक, विधान पार्षद तथा सांसद) को अवश्य दी जाय एवं उन्हें पंचायत में पेंशन वितरण के दिन आमंत्रित किया जाय।
2. किसी भी परिस्थिति में पूर्व निर्धारित वितरण तिथि के दिन ही वितरण सुनिश्चित करेंगें।
3. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की पेंशन वितरण की जानकारी अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को दी जाए ताकि वितरण में पुरी पारदर्शिता लायी जा सके चूँकी प्रत्येक पेंशनधारी को 07 माहों के लिए कम से कम दो हजार आठ सौ रूपये का भुगतान किया जाना है, जिसके कारण पंचायत या पंचायत समूह के लिए राशि की मात्रा काफी अधिक होगी। अतः सुरक्षा बल की तैनाती सुनिश्चित की जाय। सभी शिविरों में वृद्ध एवं निःशक्त पेंशनधारियों के लिए शिविर में प्राथमिक उपचार के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के सहयोग से आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
4. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि की ससमय निकासी कर वितरण हेतु सभी वितरण कर्ता (पंचायत सचिव एवं अन्य) को राशि उपलब्ध करायेंगे। इसके लिए वे एक दिन पूर्व संबंधित बैंक को राशि की आवश्यकता संबंधी जानकारी देगें।
5. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वितरण के पूर्व पंचायतवार या वार्डवार वितरण का रोस्टर बनाकर प्रचार–प्रसार लाउड–स्पीकर से करा देंगे, ताकि पारदर्शी तरीके से सभी लाभार्थियों को लाभ मिल सके। रोस्टर की एक प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध करायेगें ताकि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराया जा सके।
6. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित बैंको से सम्पर्क कर आवश्यक राशि निकालना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैंक से बड़े एवं छोटे नोट (100, 500) की आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। चुँकि अधिक राशि की निकासी एक ही समय की जानी हैं अतएव राशि के आवागमन हेतु आवश्यक सुरक्षा भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार सुनिश्चित करेंगे। बैंक संबंधी समस्या के निष्पादन हेतु सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या L.D.M. मधुबनी को सूचित करेगें।
7. प्रत्येक कैंप में जनशिकायत का अलग काउंटर भी लगाया जाय। इन काउंटरो पर प्राप्त शिकायतो का निदान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
8. वितरण कर्ता (पंचायत सचिव एवं अन्य) प्रत्येक पेंशनर का माह अगस्त–2015 से फरवरी–2016 तक के लिए भुगतेय राशि की गणना कर एक्सल शीट या पंजी में अंकित करेंगे एवं वितरण के पश्चात् उसपर पेंशनर का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान प्राप्त करेंगे। एक्सल शीट या पंजी की छाया प्रति प्रतिदिन प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे एवं एक प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भेजेंगे।

9. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के अनुमोदित दर पर वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी करायी जायेगी।
10. पेंशन वितरण कार्यक्रम की जानकारी माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद तथा सांसद को अवश्य दी जाय एवं उन्हें पेंशन वितरण के दिन आमंत्रित किया जाय। पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव के कारण पंचायत प्रतिनिधियों शिविर में आमंत्रित नहीं किया जाय। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित वितरण तिथि के दिन ही पेंशन राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाय।
11. सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी पेंशन वितरण दिवस को भ्रमणशील रह कर सतत् पर्यवेक्षण एवं पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शिविर की सफलता के संबंध में सीधे जिला पदाधिकारी को अपना प्रतिवेदन प्रतिदिन सौपेगें।
12. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मृत एवं फर्जी पेंशनधारी के नाम पर किसी भी स्थिति में पेंशन का भुगतान न हो। अगर ऐसा होता है तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव इसके लिए जिम्मेवार होंगे। अतएव उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
13. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिनांक 20.03.2016 से पूर्व जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा राशि निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।
14. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने पंचायत क्षेत्र से वितरण की अद्यतन स्थिति की सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकरी को ससमय देंगे । साथ ही इसकी जानकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी को मेल **(adssmdb@gmail.com)** पर या फोन (**06276–224285** एवं मो0 नं0 – **9334906835**) पर भी निश्चित रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।
15. **चुँकि पेंशन वितरण शिविर में काफी भीड़ होने की संभावना हैं अतएव विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि शिविर में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए वे अलग से आदेश अपने स्तर से निकालेंगे। पिछले शिविर के दौरान छिट–फुट रूप से पंचायत सचिव से पेंशन राशि की छीनाझपटी की सूचना जिला मुख्यालय को प्राप्त हुई थी। अतएव सभी अनुमंडल पदाधिकारी निश्चित रूप से दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति वितरण स्थल पर करेंगे। विधि व्यवस्था संबंधी किसी भी तरह की समस्या के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होगें।**
16. पेंशन वितरण शिविर के कार्यक्रम का अनुश्रवण सभी अनुमंडल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
17. शिविर के अंत में अर्थात दिनांक 30.03.2016 की शाम को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल **(dm-madhubani.bih.nic.in)** पर भी समेकित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजेंगे।
18. राशि वितरण के बाद सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत सचिव से अभिश्रव लेकर इसका समायोजन कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र **BTC form - 42A** में हर हालत में **दिनांक 15 अप्रैल 2016 से पहले** जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा करेंगे।
19. पेंशन शिविर का रोस्टर, संयुक्त आदेश एवं पेंशनर का डाटाबेस अविलम्ब जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। ताकि पूरी पारदर्शिता लायी जा सके।
20. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पेंशन शिविर का रोस्टर दिनांक 19.02.2016 तक अनिवार्य रूप से भेजेगें।
21. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी पंचायत भवन में लाभार्थियों की सूची चिपकायेगें। ताकि वितरण में पूरी पारदार्शिता बरती जा सके।

ह0/–
पुलिस अधीक्षक,
मधुबनी।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक : 154 / दिनांक : 19 /03/2016

प्रतिलिपि :– सभी पंचायत सचिव एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य वितरण कर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यापालक पदाधिकारी नगर परिषद, मधुबनी/नगर पंचायत, झंझारपुर, जयनगर एवं घोघरडीहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश को वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

प्रतिलिपि :- L.D.M. मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल ससमय एवं उचित संख्या में पदस्थापित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार ,पटना की सेवा में उनके पत्रांक 464 दिनांक 16.03.16 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/16
पुलिस अधीक्षक,
मधुबनी।

18/3/16
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

Bhulan Ray